न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

(1) **अपील/डिक्री/टीए/148/2002/जोधपुर**

1– आलम खां पुत्र सुल्तान खां,

2– उम्मेद खा पुत्र सुल्तान खां,

3– अकबर खां पुत्र सुल्तान खां,

4– सुलेमान पुत्र उमर खां (मृतक) जरिये वारिसान :–

4/1. श्रीमती ऐमना बेवा सुलेमान खां,

4/2. बाबूखां पुत्र सुलेमान खां,

4/3. साबू खां पुत्र सुलेमान खां,

4/4. रसाल खां पुत्र सुलेमान खां, समस्त निवासी ग्राम बोयल, झबू खां की ढाणी, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर।

---- अपीलांट्स

बनाम

श्री भंवरसिंह पुत्र पाबूदानसिंह जाति राजपुरोहित (मृतक) जरिये वारिसानः–

1– दलपतसिंह पुत्र स्व0 भंवरसिंह,

2– लादूसिंह पुत्र स्व0 भंवरसिंह,

3– मनोहरसिंह पुत्र स्व0 भंवरसिंह,

4– श्रीमती लीला पुत्री स्व0 भंवरसिंह समस्त जाति राजपुरोहित, निवासी पीपाड़सिटी, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर।

5– श्रीमती शांति पुत्री स्व0 भंवरसिंह पत्नि श्री गोरधनसिंह (मृतक) जरिये वारिसान :–

5/1. श्री गोरधनसिंह,

5/2. श्रीमती ललिता पुत्री गोरधनसिंह,

5/3. कुमारी विनिता पुत्री गोरधनसिंह,

5/4. प्रदीप पुत्र गोरधनसिंह,

5/5. गजदीप पुत्री गोरधनसिंह समस्त जाति राजपुरोहित, निवासी पीलवा, तहसील फलौदी, जिला जोधपुर।

6– चम्पालाल पुत्र हरदेव,

7– हुकमाराम पुत्र हरदेव,

8– श्रीमती पतासी देवी बेवा हरदेव,

9– देवाराम पुत्र गणेश,

10– कानाराम पुत्र देवाराम समस्त जाति माली, निवासी पीपाड़सिटी, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर।

---- रेस्पोडेन्ट्स

(2) <u>अपील/डिक्री/टीए/10030/2002/जोधपुर</u>

1– आलम खां पुत्र सुल्तान खां,

2– उम्मेद खा पुत्र सुल्तान खां,

3– अकबर खां पुत्र सुल्तान खां,

4– सुलेमान पुत्र उमर खां (मृतक) जरिये वारिसान :–

4/1. श्रीमती ऐमना बेवा सुलेमान खां,

4/2. बाबूखां पुत्र सुलेमान खां,

4/3. साबू खां पुत्र सुलेमान खां,

4/4. रसाल खां पुत्र सुलेमान खां समस्त निवासी ग्राम बोयल, झबू खां की ढाणी, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर।

---- अपीलांट्स

बनाम

श्री भंवरसिंह पुत्र पाबूदानसिंह जाति राजपुरोहित (मृतक) जरिये वारिसानः–

1– दलपतसिंह पुत्र स्व0 भंवरसिंह,

2– लादूसिंह पुत्र स्व0 भंवरसिंह,

3– मनोहरसिंह पुत्र स्व0 भंवरसिंह,

4– श्रीमती लीला पुत्री स्व0 भंवरसिंह समस्त जाति राजपुरोहित, निवासी पीपाड़सिटी, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर।

5– श्रीमती शांति पुत्री स्व0 भंवरसिंह पत्नि श्री गोरधनसिंह (मृतक) जरिये वारिसान :–

5/1. श्री गोरधनसिंह,

5/2. श्रीमती ललिता पुत्री गोरधनसिंह,

5/3. कुमारी विनिता पुत्री गोरधनसिंह,

5/4. प्रदीप पुत्र गोरधनसिंह,

5/5. गजदीप पुत्री गोरधनसिंह समस्त जाति राजपुरोहित, निवासी पीलवा, तहसील फलौदी, जिला जोधपुर।

6– चम्पालाल पुत्र हरदेव,

7– हुकमाराम पुत्र हरदेव,

8– श्रीमती पतासी देवी बेवा हरदेव,

9– देवाराम पुत्र गणेश,

10– कानाराम पुत्र देवाराम समस्त जाति माली निवासी पीपाड़सिटी, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर।

---- रेस्पोडेन्टस

खण्ड पीठ

श्री, रामनिवास जाट, सदस्य
श्री सुरेन्द्र माहेश्वरी, सदस्य

दोनों में उपस्थितः–
(1) श्री ईश्वर देवड़ा, अधिवक्ता अपीलांट।
(2) श्री वी0एस0 राठौड़, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट्स।

निर्णय

दिनांक :–23 मई, 2022

यह दोनों अपीलें राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 224 के अन्तर्गत विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर द्वारा अपील सं0 10/1994 व 08/1994 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 10–08–2000 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2– चूंकि दोनों अपीलों में पक्षकार, वादग्रस्त भूमि एवं विषय वस्तु समान होने से व उक्त दोनों अपीलों का अपीलीय न्यायालय द्वारा संयुक्त निर्णय किये जाने के फलस्वरूप इस न्यायालय द्वारा भी दोनों अपीलों का एक साथ निर्णय किया जा रहा है। निर्णय की हस्ताक्षरित एक–एक प्रति प्रत्येक अपील पत्रावली के साथ संलग्न की जावें।

3– दोनों अपीलों के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने विद्वान विचारण न्यायालय सहायक कलक्टर, बिलाड़ा के समक्ष एक वाद प्रस्तुत कर खसरा सं0 135 रकबा 36 बीघा 12 बिस्वा के दक्षिणी पूर्वी हिस्से की 6 बीघा 5 बिस्वा भूमि पर अपनी खातेदारी का वाद इस आशय का प्रस्तुत किया कि उसने प्रश्नगत भूमि हुसैन खां से जरिये रजिस्टर्ड बेचान दिनांक 25–02–1960 अन्य खसरान के साथ क्रय की थी। प्रश्नगत भूमि पर हुसैन खां का कब्जा काश्त था और यह भूमि उसके बंट में आयी थी लेकिन राजस्व रेकार्ड में इसका इन्द्राज अन्य सहखातदेार गणेश पुत्र रिडमल के नाम हो गया (जो रेस्पोडेन्ट का पूर्वज) था। प्रश्नगत भूमि हुसैन खां के नाम दर्ज नहीं थी। इसलिए भंवरसिंह ने दिनांक 30–12–1967 को उक्त

6 बीघा 5 बिस्वा भूमि की लिखत बेचान खातेदार गणेश से लिखायी और इसके आधार पर भंवरसिंह के नाम नामान्तरकरण सं0 647 भी स्वीकृत कर दिया गया लेकिन उक्त नामान्तरकरण के खिलाफ चम्पालाल आदि ने एक अपील विद्वान अति0 कलक्टर, जोधपुर के यहां अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम प्रस्तुत की जो अति0 कलक्टर, जोधपुर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 8–6–1983 को स्वीकृत की गई और उक्त नामान्तरकरण निरस्त कर दिया गया। इस निर्णय के बाद नामान्तरकरण सं0 708 द्वारा प्रश्नगत भूमि गणेश आदि के नाम दर्ज की गई। नामान्तरकरण सं0 709 द्वारा गणेश के पुत्र हरदेव व देवाराम के नाम आराजी दर्ज की गई और हरदेव के फौत होने पर उसके पुत्र चम्पालाल आदि के नाम आराजी दर्ज की गई। इस प्रकार मूल विवाद खसरा सं0 135 रकबा 36 बीघा 12 बिस्वा ग्राम बोयल के दक्षिणी पूर्वी 6 बीघा 5 बिस्वा के बारे में है जो नामान्तरकरण सं0 709 द्वारा रेस्पो0 के नाम दर्ज है लेकिन अपीलांट ने दिनांक 25–02–1960 के रजिस्टर्ड विक्रयपत्र तथा दिनांक 20–12–1967 के लिखत बेचान के आधार पर स्वयं की खातेदारी की घोषणा हेतु वाद दायर किया था जो विद्वान विचारण न्यायालय ने योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनकर अपने निर्णय दिनांक 24–10–1990 द्वारा भंवरसिंह का वाद खारिज किया गया और चम्पालाल आदि का वाद डिक्री किया गया। उक्त निर्णय दिनांक 24–10–1990 से क्षुब्ध होकर अपीलांट आलम खां वगैरा ने प्रथम अपील विद्वान अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर के समक्ष प्रस्तुत की गई जिसमें उपस्थित अधिवक्तागण की बहस सुनकर तनकियात कायम करते हुए अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 10–08–2000 से अपील सं0 8/1994 भंवरसिंह बनाम चम्पालाल स्वीकार कर ली ओर अधीनस्थ न्यायालय का वाद सं0 71/1983 में पारित निर्णय व डिक्री निरस्त किये जाकर वाद सं0 71/1983 खारिज कर दिया गया। जिस निर्णय व डिक्री दिनांक 10–08–2000 से व्यथित होकर अपीलांट्स आलम वगैरह ने यह दो अपीलें इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

4– अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दोनों अपीलों में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 जा0दी0 वास्ते इजाजत देने द्वितीय अपील प्रस्तुत करने हेतु प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के यहां अपीलार्थीगण पक्षकार नहीं थे क्योंकि वादग्रस्त आराजी सं0 135 रकबा 36 बीघा 12 बिस्वा भूमि चम्पालाल वगैरह उत्तरदाता सं0 7 ल0 11 से जरिये पंजीकृत

बेचानामा दिनांक 17–12–1992 से प्रथम अपील के दौरान क्रय कर ली तथा तब से ही कब्जा अपीलार्थीगण का चला रहा है। अपीलार्थीगण के हक में अमल दरामद सन् 1992 से सम्वत् 2049 की जमाबन्दी में हो चुका है तथा उसके बाद की जमाबंदियों में भी अपीलार्थीगण के नाम वादग्रस्त आराजी चली आ रही है। वादग्रस्त आराजी में अपीलार्थीगण के हित निहित हैं। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अपीलार्थीगण को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति न्यायहित में प्रदान की जावें।

5– अपीलार्थीगण ने दूसरा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विवादित आराजी में उनका कब्जा व उपभोग पूरी भूमि पर दिनांक 17–12–1992 से चला आ रहा है। अपीलार्थीगण बोनाफाईड परचेजर हैं। उत्तरदाता सं0 1 ल 11 ने अपीलार्थीगण को न तो अपील में पक्षकार बनाया तथा न ही सुनवाई का अवसर दिया तथा न उन्हें प्रकरण की जानकारी होने दी। विद्वान अपीलीय न्यायालय द्वारा निर्णय होने पर जानकारी हुई। अतः अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील देरी को अन्दर मियाद न्यायहित में शुमार की जावें।

6– प्रत्युत्तर में दोनों प्रार्थना पत्रों की बहस का रेस्पोडेन्ट ने विरोध करते हुए कथन किया कि वादग्रस्त आराजी से अपीलार्थीगण का कोई संबंध व सरोकार नहीं है। अपीलार्थीगण ने गलत तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये हैं तथा अपीलार्थीगण ने मियाद बाहर अपील प्रस्तुत की है। इसलिए अपीलार्थीगण की अपील अन्दर मियाद शुमार न की जावें तथा न ही अपीलार्थीगण को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जावें।

7– प्रस्तुत दोनों प्रार्थना पत्रों पर हमने योग्य अधिवक्तागण के तर्को पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थीगण ने वादग्रस्त आराजी जरिये रजिस्टर्ड विक्रयपत्र से क्रय की है। अपीलार्थीगण द्वारा मियाद प्रार्थना पत्र मय शपथपत्र प्रस्तुत किये हैं। इसमें उन्होंने विलम्ब के कारणों का सम्पूर्ण विवरण दिया है। इसके खण्डन में कोई जवाब प्रार्थना पत्र व काउन्टर शपथपत्र प्रस्तुत नहीं हुआ है। अतः उक्त प्रार्थना पत्र वास्ते मियाद स्वीकार किया जाता है। न्यायहित में अपीलार्थीगण को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

8– इसके उपरान्त हमने प्रकरण के गुणावगुण पर उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी।

9– योग्य अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिये कि विद्वान अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय कानून एवं तथ्यों के विपरीत होने से काबिल निरस्तनीय है। विद्वान अपीलीय न्यायालय में अपीलांट ने प्रश्नगत दोनों अपीलें 4 वर्ष बाद मियाद बाहर पेश की थी। पूर्व अपीलांट ने दिनांक 17–12–1992 को वर्तमान अपीलांट को जरिये रजिस्टर्ड सैलडीड से विवादित आराजी बेचान की थी थी तब से अपीलांट का कब्जा काश्त है तथा रेकार्डेड खातेदार है। विद्वान अपीलीय न्यायालय में हम अपीलांट्स को पक्षकार नहीं बनाया था। विद्वान अपीलीय न्यायालय ने केवल मौखिक साक्ष्य/शहादत के आधार पर अपीलांट की अपील स्वीकार की थी। विद्वान परीक्षण न्यायालय ने तनकी सं0 1 का विस्तृत विवेचन किया जिसके आधार पर दावा वादी खारिज किया, जो सही है। जमाबन्दी सम्वत् 2027–2029 में गणेश के नाम आराजी दर्ज अभिलेखित थी। तनकी सं0 2 कब्जे बाबत बनायी गयी है, वह सही है। विद्वान अपीलीय न्यायालय की फाईंडिंग गलत है। बहस जारी रखते हुए आगे कथन किया कि अन रजिस्टर्ड दस्तावेज के आधार पर घोषणा का दावा व एडवर्श पजेशन का दावा चलने योग्य नहीं है। हुसैन खां जो कि राजस्व अभिलेखों में कहीं पर भी खातेदार काश्तकार दर्ज नहीं था उस सूरत में उसके द्वारा किया गया बेचान अवैद्य, प्रभावशून्य, अनाधिकृत होने के कारण से धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का वाद कानूनन चलने योग्य नहीं है, फिर भी विद्वान अपीलीय न्यायालय ने विद्वान विचारण न्यायालय के इस विषय में दिये गये निर्णय के विरूद्ध भंवरसिंह का दावा अन्तर्गत धारा 88 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत कानूनन चलने योग्य नहीं है। विचारण न्यायालय की विवेचना में हुसैन खां द्वारा किये गये बेचाननामें खसरा नं0 135 का कोई उल्लेख होना प्रदर्श–1 में नहीं है, साबिक खसरा नं0 45 का नये खसरे का कोई मिलान क्षेत्रफल भी पेश नहीं किया गया है जबकि साबिक खसरा नं0 45 का रकबा सवा छः बीघा बेचना बतलाया है, उसकी खातेदारी का रेकार्ड भी हुसैन खां के खातेदार का कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है जबकि प्रदर्श–2 में खसरा सं0 135 भंवरसिंह का पहले से ही खरीदशुदा होना बतलाया है जो एक दूसरे के विरूद्ध है। तनकी सं0 4 में हुकमाराम व कानाराम से स्वयं भंवरसिंह ने जिरह में नाबालिग उम्र का बतलाया है जबकि उनका वली अथवा नैक्सट फ्रेण्ड के जरिये दावा नहीं किया गया है और न उनका कोई न्यायालय ने

गार्जीयन नियुक्त किया जबकि दोनों अधीनस्थ न्यायालय का यह आवश्यक कर्तव्य था। हुकमाराम, चम्पालाल, देवाराम ने वादग्रस्त खसरा नं0 135 रकबा 36 बीघा 12 बिस्वा विवादग्रस्त भूमि सहित व खसरा नं0 134 का 1/2 हिस्सा अपीलार्थी नं0 1 से 3 व जरिये रजिस्टर्ड बेचाननामा दिनांक 17–12–1992 को गणेशराम ने सुलेमान के हक में अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के बाद कब्जा सौंप दिया तथा वादग्रस्त खसरा सं0 135 की सवा छः बीघा भूमि पर जो दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित है उसमें पक्के पट्टीपोष मकानात व गुवाड़ा बना लिया और रह रहे हैं। अपीलार्थीगण बोनाफाईड परचेजर हैं जिनके हक में दाखिल खारिज सं0 945 दिनांक 26–12–1992 दर्ज व तस्दीक हो चुके हैं एवं उनके नाम खातेदारी का अमल भी दरामद हो चुका है। अन्त में दोनों अपीलें अपीलार्थीगण स्वीकार फरमायी जाकर विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 10–08–2000 निरस्त की जावें एवं विद्वान सहायक कलक्टर के वाद सं0 71/83 चम्पालाल बनाम भंवरसिंह व अन्य में दिनांक 24–10–1990 को पारित निर्णय व डिक्री यथावत रखी जाने का निवेदन किया। उन्होंने अपने समर्थन में 2017 आर0आर0टी0 पेज 1100, 2011 आर0आर0टी0 पेज 721, 2014–15 आर0आर0टी0 सप्ली. पेज 664, 2012 आर0बी0जे0 पेज 69, 2013 आर0आर0टी0 पेज 216, 2001 आर0आर0टी0 पेज 14 एवं 2003 आर0आर0टी0 पेज 585 के उद्धरण पेश किये गये।

10– इसके विपरीत योग्य अधिवक्ता रेस्पोन्डेन्ट्स ने बहस के प्रत्युत्तर में कथन किया कि विद्वान अपीलीय न्यायालय ने बेचान पत्र व शहादत के आधार पर अपना निर्णय पारित किया है। विद्वान अपीलीय न्यायालय ने तनकीयात कायम कर उनका विस्तृत विवेचन करते हुए न्यायसंगत निर्णय पारित किया है। जिन्होंने विवादित आराजी बेचान की उन्होंने अपील पेश नहीं की, हमने कब्जा मुखालफाना क्लेम ही नहीं किया। रजिस्टर्ड सैलडीड के आधार पर नामान्तरकरण खुलेगा जिसमें कब्जा देखें जाने की आवश्यकता नहीं है। अनरजिस्टर्ड सैलडीड तो सम्वत् 1991 की थी क्योंकि विवादित आराजी की सैलडीड पहले ही करा दी थी। इन्होंने तो सन् 1992 में विवादित आराजी खरीद, जबकि दावा तो पहले ही हो गया। विद्वान अपीलीय न्यायालय में अपील सन् 1990 में प्रस्तुत की गई थी। दौराने वाद सैलडीड से आराजी खरीदी, जो गलत था। प्रस्तुत दोनों प्रकरणों में अपीलार्थीगण

आवश्यक पक्षकार नहीं हैं तथा अपील मियाद बाहर प्रस्तुत की है। अन्त में निवेदन किया कि विद्वान अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री उचित एवं कानूनन सम्मत होने के कारण दोनों अपीलें अपीलांट खारिज की जावें। उन्होंने अपने समर्थन में 1994 आर0आर0डी0 पेज 714, 2001 आर0बी0जे0 पेज 391, 2000 आर0बी0जे0 पेज 48, 2007 आर0आर0टी0 पेज 1008, 2003 आर0आर0डी0 पेज 276, 2007 आर0आर0डी0 पेज 26 के न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये गये।

11– हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस अपील के गुणावगुण पर सुनी व दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख तथा अभिभाषकगण द्वारा प्रस्तुत न्याय दृष्टान्तों का ध्यानपूर्वक अध्ययन व अवलोकन किया गया।

12– विद्वान सहायक कलक्टर, बिलाड़ा ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 24–10–1990 में अंकित किया है कि वादी अपने जिम्मे तनकी नं0 1 व 2 को प्रमाणित करने में असफल रहा है। अतः वादी को विवादग्रस्त भूमि के सन्दर्भ में खातेदार काश्तकार घोषित नहीं किया जा सकता है। वादी का वाद खारिज किया जाता है।

13– विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 10–08–2000 में माना कि अपील सं0 8/1994 स्वीकार की जाती है और अधीनस्थ न्यायालय का वाद सं0 71/1983 में पारित निर्णय व डिक्री निरस्त किये जाकर उक्त वाद सं0 71/1983 खारिज किया जाता है और यह माना जाता है कि विवादित भूमि के बारे में प्रतिवादी/अपीलांट भंवरसिंह के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने से वादी/रेस्पो0 चम्पालाल आदि अधिकारी नहीं हैं।

14– पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि वाद सं0 20/84 में विद्वान उपखण्ड अधिकारी ने तनकीवार विवेचन करते हुए वादी का वाद प्रमाणित नहीं होने से खारिज किया है।

15– विद्वान अपीलीय न्यायालय ने भी अपने निर्णय में तनकीवार विवेचन करते हुए विद्वान उपखण्ड अधिकारी के निर्णय को निरस्त कर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित कर दिया गया।

16– पत्रावली के समस्त परीक्षण व विवेचन से विदित होता है कि बेचाननामा दिनांक 25–02–1960 ई.एक्स.1–ए. में अंकित है कि नया खसरा नंबर 131 रकबा 5 बीघा 10 बिस्वा व खसरा नंबर 132 रकबा 5

बीघा 19 बिस्वा व पुराना नंबर 45 रकबा 6 बीघा 8 बिस्वा आराजी बेचा दी है। लिखावट दिनांक 03–12–1967 में अंकित है कि पुराना खसरा नं0 45 रकबा 6 बीघा 5 बिस्वा नया खसरा नं0 135 की 6 बीघा 5 बिस्वा आराजी का बेचान कर दिया है।

लेकिन पुराना खसरा नं0 45 का नया खसरा नंबर 135 बना हो इसकी पुष्टि हेतु आवश्यक मिलान क्षेत्रफल पत्रावली में संलग्न नहीं है। पुराना खसरा नंबर 45 को नया खसरा नंबर 135 में मिला दिया गया हो, इसका कोई दस्तावेज पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। विद्वान अपीलीय न्यायालय ने केवल अन रजिस्टर्ड लिखावट तथा मौखिक साक्ष्य के आधार पर तनकी नं0 1 का विवेचन कर वादी भंवरसिंह को खातेदार काश्तकार घोषित कर दिया गया जो बिल्कुल भी विधिसम्मत नहीं है।

17– अतः विद्वान अपीलीय न्यायालय का अपील सं0 20/84 का निर्णय दिनांक 10–08–2000 काबिल खारिजी है।

<u>अपील सं0 2002/10030</u>

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि विद्वान सहायक कलक्टर, बिलाड़ा ने वाद सं0 71/83 में दिनांक 24–11–1990 को निर्णय पारित किया कि वादी का वाद डिक्री किया जाता है। डिक्री पर्चा इस अमर का सादिर किया जावें कि प्रतिवादी भंवरसिंह वादीगण चम्पालाल, हुकमाराम पि0 हरदेव पतासी पत्नि हरदेव व देवाराम पुत्र गणेश के खातेदारी के खेत खसरा नं0 135 रकबा 36 बीघा 12 बिस्वा में किसी प्रकार की दखलंदाजी न तो स्वयं करें और न ही किसी अन्य से करावें। प्रतिवादी को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है।

18– विद्वान अपीलीय न्यायालय ने इस निर्णय के विरूद्ध अपील होने पर अपील सं0 8/1994 में दिनांक 10–8–2000 को निर्णय पारित किया कि अपील सं0 8/94 स्वीकार की जाती है और अधीनस्थ न्यायालय का वाद सं0 71/1983 में पारित निर्णय व डिक्री निरस्त किये जाकर उक्त वाद सं0 71/1983 खारिज किया जाता है और यह माना जाता है कि विवादित भूमि के बारे में प्रतिवादी/अपीलांट भंवरसिंह के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के वादी/रेस्पो0 चम्पालाल आदि अधिकारी नहीं हैं।

19– पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि विवादित भूमि खसरा नं0 135 के दक्षिण पूर्वी हिस्से 6 बीघा 5 बिस्वा को विद्वान अपीलीय

न्यायालय ने पुराना खसरा नं0 45 का मानते हुए वादी भंवरसिंह को लिखावट व मौखिक साक्ष्य के आधार पर कब्जा काश्त मानते हुए खातेदार काश्तकार घोषित किया है जो मिलान खसरा व अन्य संबंधित आवश्यक राजस्व दस्तावेजात के अभाव में सिद्ध ही नहीं होता है। अतः विद्वान अपीलीय न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत नहीं होकर काबिल खारिजी है।

20– विद्वान सहायक कलक्टर, बिलाड़ा ने अपने निर्णय दिनांक 24–11–1990 में तनकियों का विस्तृत विवेचन तो किया है लेकिन दस्तावेजी साक्ष्य में यह नहीं देखा है कि पत्रावली में पुराने व नये खसरा नंबरान का मिलान क्षेत्रफल प्रस्तुत ही नहीं हुआ है जिससे किसी विधिसंगत निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सकता है। विद्वान सहायक कलक्टर, बिलाड़ा को चाहिए था कि वे पुराने खसरा नं0 45 के नये खसरा नंबरान का मिलान क्षेत्रफल प्राप्त कर मिलान कर जांच करते तथा तत्पश्चात् निर्णय पारित करते। केवल लिखावट व मौखिक साख्य के आधार पर निर्णय पारित करना विधिसम्मत नहीं है। अतः विद्वान सहायक कलक्टर, बिलाड़ा का निर्णय भी काबिल खारिजी है। योग्य अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्याय दृष्टान्त इस प्रकरण के तथ्यों पर लागू होते हैं।

21– अतः उपरोक्त विवेचनानुसार दोनों अपीलें अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार कर विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर के निर्णय व डिक्री दिनांक 10–08–2000 सम्पूर्ण तथा विद्वान सहायक कलक्टर, बिलाड़ा के दोनों निर्णय दिनांक 24–10–1990 खारिज किये जाते हैं तथा प्रकरण विद्वान सहायक कलक्टर, बिलाड़ा को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि दोनों पक्षों को साक्ष्य, सुनवाई का अवसर देकर संबंधित मिलान क्षेत्रफल, राजस्व रेकार्ड आदि प्राप्त कर जांच कर पुनः तथ्यों तथा विधि के अनुरूप निर्णय पारित करें। निर्णय की प्रति दोनों पत्रावलियों में पृथक–पृथक हस्ताक्षरित संलग्न की जावें।

22– दोनों पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेन्द्र माहेश्वरी) (रामनिवास जाट)

सदस्य सदस्य